(19)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप 5(3)नविवि / 3 / 99पार्ट

जयपुर,दिनांकः 15 MAR 2018

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों / नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

विभागीय आदेश कमांकः प. 5(3)नविवि / 3 / 99पार्ट दिनाक 06.02.2018 द्वारा विकास प्राधिकरणों / नगर विकास न्यासों / राजस्थान आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने जाने पर दिनांक 28.02.2018 तक ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2018–19 घोषणा संख्या 254 से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगर विकास न्यासों / राजस्थान आवासन मण्डल / जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करायें जाने पर वर्तमान में दी जा रही ब्याज राशि में शत–प्रतिशत छूट की दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक बढाया जाना प्रस्तावित है।

अतः विभागीय आदेश कमांक प. 5(3)नविवि / 3 / 99पार्ट दिनांक 06.02.2018 की निरन्तरता में प्रदत्त छूट को दिनांक 31.12.2018 तक एतद्द्वारा बढाया जाता है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
(2) निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
(4) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
(5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
(6) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
(7) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
(8) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नविवि।
(9) आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण।
(10) सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
(11) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(12) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(13) वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(14) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(15) [illegible]
(16) रक्षित पत्रावली।

15/3/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम